



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण सं.12/2024

(आयकर अपीलिय अधिकरण, रायपुर बेंच, रायपुर द्वारा आईटीए संख्या 27/आरपीआर/2021 में पारित आदेश दिनांक 11-10-2021 से उत्पन्न)

प्रधान आयकर आयुक्त, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्ता

बनाम

डी वी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पहली मंजिल, विकास कॉम्प्लेक्स, पी. एच. रोड, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :---श्री अमित चौधरी तथा श्री विजय चावला, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :---श्री नीलभ दुबे, अधिवक्ता श्री एस.राजेश्वर राव, अधिवक्ता।

युगल पीठ :--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश



(19/03/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 260 ए के तहत प्रस्तुत इस अपील को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न तैयार करके सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया:---

“विधि के बिन्दुओं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विद्वान आई. टी. ए. टी. द्वारा अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित सी. आई. टी. के पुनरीक्षण आदेश को प्रकरण के गुण-दोष पर विचार किए बिना और यह समझे बिना कि उचित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और करदाता द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए उसे विधिवत प्राप्त किया गया था, रद्द करने में न्यायोचित था, परंतु करदाता धारा 263 के तहत नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहा है।”

2. यहां उत्तरवादी अर्थात् मूल्यांकनकर्ता कंपनी ने अपनी कुल आय 22,56,28,290 रुपये घोषित की है तथा तदनुसार इसका प्रकरण सीएएसएस के माध्यम से जांच के लिए चुना गया था और 10.52 करोड़ रुपये में से 20,00,000 रुपये के खर्चों की अस्वीकृति करके 27-12-2018 को अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन पूरा किया गया था, अर्थात् दावा किए गए कुल खर्चों का 2% से भी कम, जिससे कुल आय 22,76,28,290 रुपये आंकी गई। इसके बाद, प्रधान आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के तहत अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए 27-3-2021 को आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि विचाराधीन वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा दिनांक 27-12-2018 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण और राजस्व के हित के लिए हानिकारक है, जिसे आईटीएटी के समक्ष चुनौती दी गई थी और जिसे आईटीएटी ने यह मानते हुए स्वीकार किया था कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसके खिलाफ यह कर अपील पेश की गई है, जिसे इस आदेश के प्रारंभिक कंडिका में उल्लिखित विधि के पर्याप्त प्रश्न को तैयार करके विचार के लिए स्वीकार किया गया है।

3. श्री अमित चौधरी, अपीलकर्ता/राजस्व के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, प्रस्तुत करते हैं कि करदाता को न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण रखने के लिए उचित अवसर दिया गया था और इसलिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) के आदेश को अपास्त करके अपील की अनुमति देना पूरी तरह से अनुचित है, इस तरह, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

4. श्री नीलाभ दुबे, अधिवक्ता, श्री एस राजेश्वर राव, उत्तरवादी/करदाता कंपनी के लिए विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित होकर, यह प्रस्तुत करते हैं कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पीसीआईटी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में पूरी तरह से न्यायोचित है, जिसमें कहा गया है कि पारित आदेश अधिनियम की



धारा 263 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है और उन्होंने आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अमिताभ बच्चन 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। इस तरह, अपील खारिज किए जाने योग्य है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वियों के तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. न्यायालय में उठाए गए तर्क पर विचार करने के लिए, अधिनियम की धारा 263(1) पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:---

“263. राजस्व के लिए प्रतिकूल आदेशों का पुनरीक्षण।1) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा और यदि वह समझता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश त्रुटिपूर्ण है, जहां तक वह राजस्व के हितों के प्रतिकूल है, तो वह करदाता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और ऐसी जांच करने या कराने के पश्चात, जैसी वह आवश्यक समझे, मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत कर निर्धारण को बढ़ाने या संशोधित करने या कर निर्धारण को रद्द करने और नए कर निर्धारण का निर्देश देने का आदेश भी शामिल है।”

7. अधिनियम की धारा 263(1) का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त प्रावधान के तहत आदेश पारित करने से पहले, पीसीआईटी को करदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है तथा जांच करने के पश्चात्, उसे अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश पारित करना होगा। अधिनियम की धारा 263 अमिताभ बच्चन के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आई थी, जिसमें उनके माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिनियम की धारा 263 के तहत करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है और ऐसा अवसर न दिए जाने से पुनरीक्षण आदेश विधिक रूप से कमजोर हो जाएगा, न कि अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर। इसके अलावा, गीता देवी अग्रवाल बनाम सीआईटी 2 और सीआईटी बनाम इलेक्ट्रो हाउस 3 के मामलों में अपने पहले के निर्णयों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:---

“10. अधिनियम की धारा 263 के विशिष्ट प्रावधानों पर वापस आते हुए यह देखा जाना चाहिए कि इस बात की संतुष्टि कि अधिनियम के तहत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हित के लिए हानिकारक है, अधिनियम की धारा 263 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए बुनियादी पूर्व शर्त है। दोनों जुड़वां शर्तें हैं जो संयुक्त रूप से मौजूद होनी चाहिए। एक बार ऐसी संतुष्टि हो जाने पर, शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के अधीन उपलब्ध होगा जो कि धारा द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता में निहित है। उपरोक्त स्थिति के संदर्भ में यह न्यायालय बार-बार यह



अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 147 के तहत मूल्यांकन को फिर से खोलने की शक्ति के विपरीत, धारा 263 के तहत संशोधन की शक्ति कारण बताओ नोटिस देने पर निर्भर नहीं है। वास्तव में, धारा 263 के तहत करदाता को कोई विशेष कारण बताओ नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, उक्त प्रावधान के तहत करदाता को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता है। दोनों आवश्यकताएं अलग-अलग हैं: पहली आवश्यकता में करदाता को पूर्व सूचना देना शामिल है, जिसमें उन विशिष्ट आधारों का विवरण दिया गया है, जिन पर कर निर्धारण आदेश में संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। धारा 263 के तहत करदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। ऐसा अवसर न दिए जाने पर पुनरीक्षण आदेश कानूनी रूप से कमजोर हो जाएगा, न कि अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर। इस संबंध में गीता देवी अग्रवाल बनाम सीआईटी, (1970) 76 आईटीआर 496 (एससी), और सीआईटी बनाम इलेक्ट्रो हाउस, (1971) 2 एससीसी 647: (1971) 82 आईटीआर 824 में इस न्यायालय के निर्णयों का उदाहरण दिया जा सकता है।"

9. नोटिस इस सिद्धांत का पहला अंग है कि किसी को भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह सटीक और सुस्पष्ट होना चाहिए। यह पक्षकार को उस मामले के बारे में निर्णायक रूप से अवगत कराना चाहिए जिसका उसे सामना करना है। इस उद्देश्य के लिए दिया गया समय पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सके। इस तरह के नोटिस और ऐसे उचित अवसर के अभाव में, पारित आदेश पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि किसी पक्षकार को उसके विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले मामले की जानकारी दी जानी चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। (केनरा बैंक तथा अन्य बनाम देबाशीष दास तथा अन्य 4 देखें।)

10. अमिताभ बच्चन के प्रकरण 4 (2003) 4 एससीसी 557 (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निर्धारित विधि के सिद्धांतों के आलोक में मामले के तथ्यों पर आते हुए, निस्संदेह, इस मामले में, अधिनियम की धारा 263 में निहित प्रावधान के तहत 25-3-2021 को नोटिस जारी किया गया था जिसमें 26-3-2021 को दोपहर 1 बजे सुनवाई दिनांक निर्धारित की गई थी और पीसीआईटी द्वारा 27-3-2021 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें उत्तरवादी / करदाता कंपनी द्वारा 26-3-2021 के आवेदन द्वारा समय मांगने के लिए स्थगन के तर्क को खारिज कर दिया गया था और इस तरह, अधिनियम की धारा 263(1) के तहत आदेश पारित करने से पहले करदाता कंपनी को कोई उचित अवसर तो दूर पर्याप्त/उचित अवसर भी नहीं दिया गया था।

11 प्रकरण के तहत, उत्तरवादी / निर्धारित कंपनी को अधिनियम की धारा 263 के तहत नोटिस का जवाब देने के लिए दिया गया समय पूरी तरह से अपर्याप्त था, क्योंकि नोटिस 25-3-2021 को जारी किया गया था, सुनवाई दिनांक 26-3-2021 को दोपहर 1.00 बजे तय की गई थी और पीसीआईटी द्वारा 27-3-2021 को आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार, उत्तरवादी को यह बताने के लिए पर्याप्त और समुचित अवसर नहीं



दिया गया कि क्या आकलन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए अधिनियम की धारा 263 को लागू करने का मामला बनता है और इस प्रकार, पुनरीक्षण प्राधिकारी (पीसीआईटी) द्वारा अधिनियम की धारा 263 को लागू करने का निर्णय, गीता देवी अग्रवाल (सुप्रा) और इलेक्ट्रो हाउस मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और अमिताभ बच्चन मामले (सुप्रा) के अनुसरण में दिए गए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

12. उपर्युक्त कारणों से, विद्वान आई. टी. ए. टी. द्वारा 27-3-2021 को पी. सी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना पूरी तरह से उचित है। परिणामस्वरूप, विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर करदाता के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध दिया गया है। परिणामस्वरूप, कर प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है, तथा पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(संजय कुमार जयसवाल)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु

किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य



प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

